न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी, मसूदा, जिला अजमेर
पीठासीन अधिकारी सुरेश चावला(RAS)
नामान्तरण अपील संख्या 06/2016

1. श्री नन्दा पुत्र हरदेव जी जाति गुर्जर निवासी ग्राम जयसिंहपुरा, ग्राम पंचायत लोडियाना, तहसील मसूदा हाल तहसील बिजयनगर, जिला अजमेर (राज)

.....अपीलार्थी

बनाम

1. ग्राम पंचायत लोडियाना, पंचायत समिति मसूदा, तहसील मसूदा, जिला अजमेर (राज) जरिये सरपंच ग्राम पंचायत लोडियाना, पंचायत समिति मसूदा, जिला अजमेर (राज)
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भू धारक एवं भू अभिलेखाधिकारी), तहसील कार्यालय बिजयनगर, जिला अजमेर, (राज)

.....प्रत्यर्थीगण

3. श्री सूरजमल पुत्र श्री भारू जी गुर्जर जाति गुर्जर निवासी ग्राम जयसिंहपुरा, ग्राम पंचायत लोडियाना, तहसील बिजयनगर, जिला अजमेर (राज)

.....प्रफोर्मा–प्रत्यर्थी

अपील का ज्ञापन अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरूद्व आदेश/निर्णय/कार्यवाही ग्राम पंचायत लोडियाना, तहसील बिजयनगर के द्वारा ग्राम जयसिंहपुरा में स्थित भूमि खाता संख्या 233, 165 के सम्बन्ध में नामान्तरण प्रविष्टि संख्या 388 को ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव संख्या 02(7) दिनांक 20.07.2007 की बैठक के निर्णयानुसार अस्वीकृत किया गया।

निर्णय

दिनांक 12.04.2017

अपीलार्थी ने इस अपील में साराशतः निवेदन किया है कि मौजा जयसिंहपुरा पटवार हल्का लोडियाना तहसील बिजयनगर जिला अजमेर स्थित आराजी ख0 न0 456, 491, 495, 502, 503, 508, 512, 523, 535, 540, 541, 542, 1068/508, 1069/512, व 1070/540, कुल किता 15 रक्बा 2.4078 हेक्टेयर अर्थात 14–17–10 बीघा एवं ख0 न0 855, 1089/855, 1123/539 व 1124/540 कुल किता 4 रक्बा 0.7770 हेक्टेयर अर्थात 4–16–00 बीघा में से 1/2 अर्थात 02–08–00 बीघा भूमियां इस अपील में विवादग्रस्त सम्बोधित की जानी है।

अपिलाट ने विवादित आराजियात को बएवज प्रतिफल राशि दिनांक 14.06.2007 को जरिये पंजिकृत विक्रय पत्र प्रफोर्मा प्रत्यर्थी संख्या 3 से खरीद की है और खरीदरोज से बिना रोकटोक इन आराजियात पर अपिलार्थी काबिज काश्त चला आता है और उसने इन भूमियां को जरिये नामान्तकरण अपने नाम लगवाने हेतु पटवारी हल्का समक्ष बेचाननामा प्रस्तुत किया जिस पर पटवारी हल्का ने दिनांक 6.07.2007 को अपीलार्थी के पक्ष में नामान्तकरण दर्ज कर भू0 अ0 नि0 बिजयनगर की जांच रिपोर्ट दिनांक 11.07.2007 के साथ अधिनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत लोडियाना के समस्त पेश किया जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा श्रीमति तीजी व श्रीमति एजी की झूठी कार्यवाही पर बिना भलिप्रकार जांच किये आदेश दिनांक 20.07.2007 से अवैध एवं गैरकानूनी रूप से खारिज कर दिया है। श्रीमति तीजी एवं एजी द्वारा माननीय न्यायालय में प्रस्तुत वाद संख्या 70/2007 उनवानी श्रीमति तीजी व अन्य बनाम सूरजमल व अन्य से प्रस्तुत किया था जिसे न्यायालय द्वारा विवादित आराजियात में वादियागण के कोई हक व अधिकार नही मानतें हुए निर्णय दिनांक 12.11.2016 से खारिज कर दिया गया है।

उपखण्ड अधिकारी मसूदा (अजमेर)

अपील अन्दर मयाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपिलार्थी को पूर्ण अधिकार है कि वह अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 20.07.2007 अपास्त करवा कर अपनी खरीदशुदा विवादित आराजियात में अपने नाम नामान्तकरण स्वीकृत कराने जो न्यायहित में आवश्यक है। प्रफोर्मा प्रत्यर्थी संख्या 3 से कोई विवाद नही है लेकिन उसके द्वारा अपिलार्थी को विवादित भूमियों का बेचान किया गया है इसलिए इसे पक्षकार बनाया गया है।

अधिनस्थ न्यायालय का आलोच्य निर्णय/आदेश दस्तावेजी साक्ष्य के संतुलन के विपरीत एवं विधिक तथा प्रतिपादित न्याय सिद्वांतो के प्रतिकूल होकर न्याय संगत नही है और ना ही नैसर्गिक न्यायसिद्वांतों के अनुकूल है अतः किसी भी रूप में कायम रहने योग्य नही है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश पारित करने में समुचित विवेचन आदि नही किया गया है। अतः आलोच्य नामान्तकरण 388 पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित खारिजी आदेश दिनांक 20.07.2007 अपास्त किये जावे तथा पत्यर्थी संख्या 1 व 2 को ओदशित किया जावे कि अपिलार्थी के पक्ष में विवादित भूमि के बेचाननामें की रूह से पुनः नामान्तकरण दर्ज कर राजस्व अभिलेख में विवादित आराजियात अपिलार्थी के नाम लगाई जावे।

इसके साथ ही एक मयादमुक्ति का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 पेश कर निवेदन किया है कि नामान्तकरण आदेश के पश्चात अपीलार्थी श्रीमति तीजी व एजी द्वारा राजस्व वाद में उलझा देने से अपिलार्थी विधिक कार्यवाहियों में व्यस्त रहा और वाद निर्णय दिनांक 12.11.2016 अनुसार खारिज होने पर यह अपील पेश की जा रही है जो अन्दर मयाद है फिर भी माननीय न्यायालय देरी होना माने तो देरी क्षमा किया जाना एवं प्रार्थना पत्र के गुणावगुण पर निर्णित किया जाना आवश्यक है ताकि मियाद जैसे तकनिकी बिन्दू पर/अन्यथा अपीलार्थी न्याय से वंचित रह जावेगा। अतः देरी क्षमा करावें।

अपील दर्ज रिजस्टर कर प्रत्यर्थीगण को जरिये नोटिस तलब करने पर प्रत्यर्थी 1 पर बावजूद तामीली नोटिस अनुपस्थि रहने से एक तरफा कार्यवाही की गई प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 के अभिभाषकगण ने कोई जवाब पेश न कर सीधे बहस में भगीदारी की।

अभिभाषक अपीलार्थी के मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर इस तर्क से सहमत हुआ जाता है कि अपिलार्थी ठेट गांवाई परिपेक्ष का व्यक्ति है और वह श्रीमति तेजी एवं एजी के वाद में उलझ जाने से व्यस्थ हो गया उसे अपील की जानकारी नही रही एसी स्थिति में देरी क्षमा योग्य है अन्यथा अपिलार्थी न्याय से वंचित रह जावेगा। जो संभव भी है प्रत्यर्थी 2 व 3 के अभिभाषक ने कोई तर्क नही रखे। अतः प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। और देरी क्षमा की जाती है।

अपील के परिपेक्ष में अपीलार्थी अभिभाषक के तर्क रहे कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश में अंकित किया है कि प्रस्ताव संख्या 2(7) दिनांक 20.07.2007 की बैठक के प्रस्ताव कमेठी के निर्णयानुसार अस्वीकृत कमेटी ने क्या निर्णय किया अंकित नही अलावा इसके में विवादित आराजी का बोनोफाईड पर्चेजर हूँ और विवादित आराजी पर खरीद रोज से खुले आम सबकी जानकारी में बिना रोकटोक के काबिज काश्त चला आता हूँ बावजूद इसके मुझे नोटिस देकर नही सुना गया और ना ही मुझे अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया। मेरी अनुपस्थिति

में नैसर्गिक न्याय की मर्यादा के विपरीत यह एक तरफा प्रस्ताव किया गया है जो निरस्तनीय है अतः अधिनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 20.07.2007 अपास्त फर्माए जावें तथा विवादित आराजी मेरे पक्ष में पुनः दाखिल खारिज कर राजस्व अभिलेख में विवादित आराजी में मेरा नाम बहैसियत खातेदार लगवाया जावे। उपस्थित पैरोकार प्रत्यर्थी संख्या 2 व अभिभाषक प्रत्यर्थी संख्या 3 ने कोई तर्क पेश नही किये।

मैनें बहस के परिपेक्ष में पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपिलार्थी को सुने जाने बाबत् कोई तथ्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 20.07.2007 में अंकित नही किये गये है और आवश्यक पक्षकार को सुने बिना एकतरफा आदेश पारित किये है जो नैसर्गिक न्याय की मर्यादा के सर्वथा विपरीत है एसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तकरण संख्या 388 पर पारित आदेश दिनांक 20.07.2007 अभिलेख पर रहने योग्य नही पाया जाता अतः निरस्त किया जाता है और प्रकरण तहसीलदार बिजयनगर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपिलार्थी के नाम ग्राम जयसिंहपुरा, पटवार क्षेत्र लोडियाना स्थित विवादित आराजी ख0 न0 456, 491, 495. 502. 503, 508, 512, 523, 535, 540, 541, 542, 1068/508, 1069/512, 1070/540, कुल किता 15 रक्बा 2.4078 हेक्टेयर अर्थात 14–17–10 बीघा के सम्पूर्ण रक्बे का तथा ख0 न0 855, 1089/855, 1123/539 व 1124/540, किता 4 रक्बा 0.7770 हेक्टेयर अर्थात 4–16–00 बीघा के 1/2 हिस्से का पुनः नामान्तकरण दर्ज करवा कर विधिनुसार स्वीकृत करवा कर अमल दरामद करावें।

निर्णय आज दिनांक 12.04.2017 को सरे इजलास अदालत में सुनाया गया।

(सुरेश चावला)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, मसूदा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2020.02.10 12:43:28 IST
Reason: SelfAttested
Location: